राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 15/02/2022 को संपन्न 399वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

----00----

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 398वीं बैठक दिनांक 14/02/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 398वीं बैठक दिनांक 14/02/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: औद्योगिक परियोजनाओं एवं गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (वायर रॉड मिल डिविजन यूनिट–2) ग्राम–गोगांव, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 753)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 29825/ 2018, दिनांक 14/10/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/आईएनडी/ 29825/ 2018, दिनांक 21/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा आधुनिकीकरण (Modification) एवं क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–गोगांव, तहसील व जिला–रायपुर स्थित 130/4 एवं अन्य 22 खसरे, कुल क्षेत्रफल – 6.14 हेक्टेयर (15.18 एकड़) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। आधुनिकीकरण (Modification) एवं क्षमता विस्तार हेतु परियोजना का विनियोग रुपये 3 करोड़ होगा। प्रस्ताव निम्नानुसार है:–

Unit	Existing Plant	Proposed Modification/Expansion	After Proposed Modification
Mill - 1	1.8 LTPA	0.7 LTPA	2.5 LTPA
Mill - 2	2.5 LTPA	-	2.5 LTPA
Coal Gasifier	8,000 NM^3/hr 3 No's (2W+1SB)	-	8,000 NM^3/hr 3 No's (2W+1SB)

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/03/2019 द्वारा से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु टीओआर जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ए.के. चतुर्वेदी, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री वाय. महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जारी पर्यावरणीय स्वीकृति –**

- पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 10/06/2009 द्वारा वॉयर रॉड मिल क्षमता – 4,30,000 टन प्रतिवर्ष एवं

फेरो एलॉय प्लांट क्षमता – 12,750 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

- क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नागपुर के ज्ञापन दिनांक 08/08/2019 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नागपुर द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन में आंशिक एवं अपूर्ण पालन के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा वॉयर रॉड मिल क्षमता 4,30,000 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर प्लाट क्षमता – 16,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा एवं प्रोडयुसर गैस प्लाट क्षमता – 16,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 09/12/2021 को जारी की गई है,जिसकी वैद्यता दिनांक 01/02/2022 से 31/01/2025 तक है।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी नहीं प्रस्तुत की गई है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–गोगांव 0.35 कि.मी., स्कूल ग्राम–गोगांव 0.32 कि.मी. एवं अस्पताल एम्स रायपुर 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन सरस्वती नगर 1.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.2 कि.मी. दूर है। खारून नदी 5.9 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

Land use	Area (in acre)	Percentage (%)
Main Plant	4.30	28.3
Raw Material Storage yard	1.60	10.5
Product Storage yard	1.10	7.2
Solid Waste Storage yard	0.50	3.3
Internal Roads	0.50	3.3
Greenbelt Area	5.10	33.6
Water Reservoir and RWH	0.50	3.3
Parking Area	1.58	10.5
Total	**15.18**	**100**

5. रॉ–मटेरियल –

Raw Material	Existing Quantity	After Proposed Modification	Mode of Transportation	Sources

	(TPA)	Quantity (TPA)		
Billets for Mill #1	1.962	2.725	By road (through trucks/trailors)	Induction Furance division at champa & any shortfall will be purchased
Billets for Mill #2	2.725	2.725	By road (through trucks/trailors)	
Coal for all gasifier (Indian)	0.634	0.634	By rail & road (through covered wagons/trucks)	SECL, C.G./ MCL Odisha

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – रोलिंग मिल के री–हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु साईक्लोन सेप्रेटर एवं 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु यही व्यवस्था अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम रखा जाना प्रस्तावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

Rolling Mill #1			
Solid Waste Generated	**Existing Scenario (TPA)**	**Proposed Scenario (TPA)**	**Disposal**
End Cutting	10,800	4,200	It will be sent to steel plant at Champa or may be sold in the market to re-rollers.
Mill Scales	3,600	1,400	It will be sent to steel plant at Champa or may be sold in the market to melt in Furnaces.
Miss Rolls	1,800	700	It will be sent to steel plant at Champa or may be sold in the market to re-rollers.
Ash / Cinder	5,590	-	It will be given to brick manufactures.
Rolling Mill #2			
End Cutting	15,000	-	It is sended to steel plant at Champa or sold in the market to re-rollers.
Mill Scales	5,000	-	It is sended to steel plant at Champa or sold in the market to melt in Furnaces.
Miss Rolls	2,500	-	It is sended to steel plant at Champa or sold in the market to re-rollers.
Ash / Cinder	5,590	-	It is given to brick

			manufactures.

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में संयुक्त परियोजना यूनिट–1 एवं यूनिट–2 के लिए कुल 26 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 24 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 26 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 20/03/2020 से 19/03/2023 तक अनुमति प्राप्त की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त जल की आवश्यकता नहीं होना बताया गया है। भू–जल की आवश्यकता यूनिटवार पृथक–पृथक बताया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- समिति का मत है कि यूनिट–1 एवं यूनिट–2 में जल के उपयोग हेतु पृथक से जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु संयुक्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस इकाई में प्रस्तावित है, के संबंध में भी जानकारी एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। लेण्ड एरिया स्टेटमेंट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आवश्यक भूमि नहीं दर्शायी गई है। लेण्ड एरिया स्टेटमेंट में मुख्य प्लांट (Main Plant) का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 41,516 घनमीटर है। वर्तमान में उद्योग परिसर के भीतर 5 नग रिचार्ज पिट (व्यास 2.5 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 22 नग रिचार्ज पिट (व्यास 2.5 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 11 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित है। स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विद्युत की मात्रा एवं आपूर्ति की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 5.1 एकड़ (33.6 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,766 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 1,000 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त वृक्षारोपण का कार्य आगामी मानसून में पूर्ण किया जाएगा। समिति का मत है कि परिसर के भीतर 45 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण के रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है।

11. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 01 दिसंबर 2018 से 28 फरवरी 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 32.6 से 47.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 56.7 से 83.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.2 से 15.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 15.4 से 31.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 84.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि, डी.जी. सेट से सल्फर डाईआक्साईड की मात्रा 19.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं एनओ$_{एक्स}$ की मात्रा 42.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48 डीबीए से 70 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 36 डीबीए से 58 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 917 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 1,059.5 पी.सी.यू. प्रतिघंटा होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

12. लोक सुनवाई दिनांक 20/07/2021 अपरान्ह 02:00 बजे, स्थान – शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सोनडोंगरी के मैदान, वार्ड क्रमांक 02, जोन क्रमांक 01, नगर पालिक निगम, रायपुर, संकुल हीरापुर, विकासखण्ड–धरसींवा, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 18/08/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

13. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु परियोजना के कुल लागत का 2 प्रतिशत व्यय लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों के आधार पर यथा कबीर नगर एवं केनाल रोड के मध्य स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण, ग्राम–सोनडोंगरी में वृक्षारोपण (ट्री–गार्ड सहित), कबीर नगर, सोनडोंगरी एवं गोगांव में सीसी कैमरा लगाया जाना तथा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण हेतु राशि 17 लाख रूपये व्यय किया जाना बताया गया है। जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत् व्यय राशि अत्यधिक होने के कारण 5 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में "ईको पार्क निर्माण" का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। अतः ओ.एम. के अनुसार संशोधित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. आधुनिकीकरण (Modification) एवं क्षमता विस्तार हेतु परियोजना के विनियोग की कुल लागत 3 करोड़ होना बताया गया है, विनियोग की कुल लागत की गणना वर्ष 2018 में की गई है। वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत की गणना कर ब्रेक–अप के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत की गणना कर ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नागपुर द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन में आंशिक एवं अपूर्ण पालन के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एवं पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाए।
4. वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस, रॉ–मटेरियल बैलेंस एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन व्यवस्था प्रस्तुत किया जाए।
5. परिवहन, कच्चे माल की लोडिंग–अनलोडिंग, सभी ट्रांसफर पाईंट्स, कन्वेयरिंग पाईंट्स, मार्गों आदि से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियत्रंण हेतु स्थापित एवं प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

7. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (खसरावार सहित) प्रस्तुत किया जाए।

8. यूनिट–1 एवं यूनिट–2 में जल के उपयोग हेतु पृथक से जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु संयुक्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस इकाई में प्रस्तावित है, के संबंध में ही जानकारी एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तृत प्रस्ताव (प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित) प्रस्तुत किया जाए।

9. प्रस्तावित परियोजना उपरांत दूषित जल की मात्रा एवं उसके उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लेण्ड एरिया स्टेटमेंट में मुख्य प्लांट (Main Plant) का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।

10. कोल एनालिसिस रिपोर्ट सबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

11. वायु मापन हेतु मॉडल में की गई गणना का इनपुट वैल्यु एवं आउटपुट वैल्यु (लिये गये कारक सहित) का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

12. कुल क्षेत्रफल के 45 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

13. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विद्युत की मात्रा एवं आपूर्ति की जानकारी तथा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

14. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत् व्यय राशि अधिक होने के कारण 5 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ईको पार्क निर्माण हेतु प्रस्ताव विस्तृत विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।

16. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनोज चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1828)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/67943/2021, दिनांक 27/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 200, कुल क्षेत्रफल–0.36 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,325 टन (930 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री बालमुकुंद चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1829)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67948/2021, दिनांक 27/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 311, कुल क्षेत्रफल–0.24 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–907.5 टन (363 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री खेमलाल चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1830)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67949/2021, दिनांक 27/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 467, कुल क्षेत्रफल–0.5 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,542.5 टन (1,017 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री बालमुकुंद चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1831)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 67950/2021, दिनांक 27/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 177, कुल क्षेत्रफल–0.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,575 टन (630 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री ललित कुमार चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1832)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67951/2021, दिनांक 27/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 358, कुल क्षेत्रफल–0.7 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1687.5 टन (675 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री दिलीप कुमार अग्रवाल), ग्राम–घोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1833)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 67953/2021, दिनांक 28/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–घोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 10, कुल क्षेत्रफल–1.04 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,210 टन (884 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स बारूला सेण्ड माईन (प्रो.– श्री गुंजन पिथालिया), ग्राम–बारूला, तहसील व जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1834)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 231835/ 2021, दिनांक 29/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–बारूला, तहसील व जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 268, कुल क्षेत्रफल–4 हेक्टेयर में है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स कोचवाय सेण्ड माईन (प्रो.– श्री मनोज कुमार साहू), ग्राम–कोचवाय, तहसील व जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1835)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 231839/ 2021, दिनांक 29/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–कोचवाय, तहसील व जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 2127, कुल

क्षेत्रफल–3 हेक्टेयर में है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों से वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स गुमड़ा सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री श्याम कुमार सिंह), ग्राम–गुमड़ा, तहसील–गीदम, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1712)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 215684/ 2021, दिनांक 23/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–गुमड़ा, तहसील–गीदम, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 1224, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में है। उत्खनन डंकिनी नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 39,438 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शाहिद अली, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत गुमड़ा के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 1224, कुल क्षेत्रफल – 5 हेक्टेयर, क्षमता – 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा दिनांक 24/07/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/11/2019 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत गुमड़ा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री श्याम कुमार सिंह के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। वर्तमान में 450 नग पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें से 300 नग पौधें जीवित है।

v. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 130/खनिज/रि.ऑ./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 31/05/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017–18	1,120
2018–19	2,089
2019–20	1,400
2020–21	7,300

vi. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 382/खनिज/रि.ऑ./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29/07/2021 द्वारा वर्ष 2020–21 में किये गये माहवार उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
जनवरी 2020	433	सितम्बर 2020	–
फरवरी 2020	404	अक्टूबर 2020	–
मार्च 2020	563	नवम्बर 2020	120
अप्रैल 2020	–	दिसम्बर 2020	280
मई 2020	–	जनवरी 2021	1,000
जून 2020	–	फरवरी 2021	783
जुलाई 2020	–	मार्च 2021	5,117
अगस्त 2020	–		

vii. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 23/07/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई

है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गुमड़ा का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 124/खनिज/उ.यो./2021-22 दंतेवाड़ा, दिनांक 31/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 128/खनिज/रेत/2021-22 दंतेवाड़ा, दिनांक 31/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 129/खनिज/रेत/2021-22 दंतेवाड़ा, दिनांक 31/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज का विवरण** – लीज श्री श्याम कुमार सिंह के नाम पर है। लीज डीड 2 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/12/2019 से 06/12/2021 तक की अवधि हेतु वैध है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-गुमड़ा 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम-गुमड़ा 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल गीदम में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग

7 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 140 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 577 मीटर, न्यूनतम 573 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 67 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 53 मीटर, न्यूनतम 2 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 39,438 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.35 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 40 मीटर गुणा 40 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर पोस्ट–मानसून डाटा दिनांक 22/12/2019, प्री–मानसून डाटा दिनांक 15/06/2020 एवं 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर पोस्ट–मानसून डाटा दिनांक 14/10/2020, प्री–मानसून डाटा दिनांक 13/06/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
22	2%	0.44	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Gumda**	
			Rain Water Harvesting System	0.35

			Potable Drinking water Facility	0.30
			Total	**0.65**

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र –**

i. नदी के पाट की चौडाई अधिकतम 140 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 53 मीटर, न्यूनतम 2 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौडाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3,400 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उत्खनन क्षेत्र में पत्थर होने के कारण से माईनिंग प्लान अनुसार 20,308 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 23,708 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 2.629 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 10/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमंडल, जिला–दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./8857 दंतेवाड़ा, दिनांक 07/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 1 कि.मी. की दूरी पर है एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।.
2. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. लीज सीमा से अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।

2. लीज की वैधता वृद्धि के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट किया जाए।

3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स अविनाश एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–मोहरा एवं हिरमी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 900)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 37500/ 2019, दिनांक 08/06/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 37500/ 2019, दिनांक 21/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–मोहरा में खसरा क्रमांक 146, 147, 148, 149, 150, 168/1, 2, 3 एवं 4, 169, 170/1, 2, 3, 4 एवं 5, 171, 172/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10, 173, 174/1 एवं 2, 175, 176, 177/1 एवं 3, 178, 179/1 एवं 2, 180, 181/1, 2 एवं 3, 182/1 एवं 6, 183, 184 तथा ग्राम–हिरमी में खसरा क्रमांक 872/2, 856, 855/3, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा स्थित कुल क्षेत्रफल – 67 एकड़ (27.129 हेक्टेयर) में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (2 गुणा 95 टन प्रतिदिन) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष, इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. बिलेट्स/एम.एस.इंगाट्स) (5 गुणा 10 टन) क्षमता – 1,65,000 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल (टी.एम.टी. बार/ स्ट्रक्चरल स्टील/ रोल्ड प्रोडक्ट्स) (1 गुणा 500 टन प्रतिदिन) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर. बी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 5 मेगावॉट तथा एफ़.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 5 मेगावॉट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 98 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(डी) थर्मल पॉवर प्लांट्स एवं श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टीओआर जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 02/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 07/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेश वागवानी, प्रोजेक्ट इंचार्ज एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–मोहरा 1.2 किलोमीटर, स्कूल ग्राम–मोहरा 2.1 किलोमीटर, हॉस्पिटल ग्राम–हिरमी 2.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन तिल्दा 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महानदी 1.5 किलोमीटर एवं बंजारी नाला 3.2 किलोमीटर की दूरी पर है। राज्यमार्ग 20 किलोमीटर दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 27.129 हेक्टेयर (67 एकड़) है, जिसमें से प्लांट का क्षेत्रफल 8.109 हेक्टेयर, रॉ–मटेरियल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 1.213 हेक्टेयर, प्रोडक्ट स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर, ठोस अपशिष्ट वेस्ट स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर, आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर, हरित पट्टिका का क्षेत्रफल 10.86 हेक्टेयर (40.03 प्रतिशत), वॉटर रिजर्वायर एवं आर.डब्ल्यू.एच. का क्षेत्रफल 0.202 हेक्टेयर, पार्किंग का क्षेत्रफल 0.202 हेक्टेयर तथा अन्य क्षेत्र 4.318 हेक्टेयर है।

3. भू–स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। प्रस्तावित भूमि कृषि भूमि है, जिसका औद्योगिक उपयोग के लिए लेण्ड डायवर्सन नहीं हुआ है।

4. ग्राम पंचायत हिरमी एवं मोहरा का कार्यवाही बैठक प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों द्वारा आपत्ति जताई गई है। ग्राम पंचायत हिरमी एवं मोहरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान ग्राम पंचायत हिरमी एवं मोहरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

5. **प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न संयंत्रों का विवरण निम्नानुसार है:–**

S. No.	Unit (Product)	Configuration	Production capacity
1.	DRI klin (Sponge Iron)	2 x 95 TPD	62,700 TPA
2.	Induction Furnaces (Hot Billets / MS Billets/ MS Ingots)	5 x 10 T	1,65,000 TPA
3.	Rolling Mill along with Gasifier (TMT Bars/ Structural Steel / Rolled Products)	1 x 500 TPD	1,50,000 TPA
	90% of total capacity will be through hot charging and remaining 10% will be reheating furnace.		
4.	WHRB based Power	2x12 TPH	5 MW

	Plant		
5.	FBC based Power Plant	1x24 TPH	5 MW

6. रॉ–मटेरियल :–

S. No.	Raw Material		Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
For DRI kiln (Sponge Iron) - 62,700 TPA					
1.	Iron ore		1,00,320	Barbil, Orissa, NMDC, Chhattisgarh	By Rail and Road (through covered trucks)
2.	Coal	Indian Coal or	81,510	SECL, Chhattisgarh / MCL Odisha	By Rail and Road (through covered trucks)
		Imported Coal	56,430	Indonesia/ South Africa/ Australia	Through Sea Route, Rail & by road
3.	Dolomite		3,135	Chhattisgarh	By Road (through covered trucks)
For Induction Furnace (Hot Billets/MS Billets/Ingots) – 1,65,000 TPA					
1.	Sponge Iron		1,37,000	Own generation & purchase from Raipur	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap		59,000	Raipur	
3.	Ferro alloys		2,500	Raipur	
For Rolling Mill (TMT Bars & Structural Steel / Rolled Products) - 1,50,000 TPA (1,35,000 TPA Hot Charged and 15,000 TPA Coal Gasifier Based)					
1.	MS Ingots/ Steel billets		1,60,500	Own generation	-
2.	Furnace oil		75 KL	Nearby HPCL /IOCL depots	Tankers
3.	Coal For Gasifier Producer gas 2,000 NM^3/Hr	Indian Coal or	3,000	SECL Chhattisgarh / MCL Odisha	By Rail and Road (through covered trucks)
		Imported Coal	1,920	Indonesia/ South Africa/ Australia	Through sea route, rail & by road
For FBC Boiler (Power Generation 5 MW)					
1.	Indian Coal (100%)		27,000	SECL Chhattisgarh / MCL Odisha	By Rail and Road (through covered trucks)
OR					
2.	Imported Coal (100%)		17,280	Indonesia/ South Africa/ Australia	Through sea route/ rail route / by road
OR					
3.	Dolochar		18,180	In Plant Generation	through covered conveyor

	Indian Coal	17,595	SECL Chhattisgarh / MCL Odisha	By Rail and Road (through covered trucks)
OR				
4.	Dolochar	18,180	In Plant Generation	through covered conveyor
	Imported Coal	7,875	Indonesia/ South Africa/ Australia	Through sea route/ rail route / by road

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इण्डक्शन फर्नेस से प्राप्त हॉट मेटल का उपयोग सी.सी.एम. के द्वारा रोलिंग मिल में फीड किया जाकर रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाएगा। किन्ही परिस्थियों यथा सी.सी.एम. / रोलिंग मिल के रोल्स में समस्या आने के फलस्वरूप ठण्डे बिलेट्स को री–हीटिंग फर्नेस में पुनः गर्म कर रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार री–हीटिंग फर्नेस में ईंधन की मात्रा में कमी होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एफ.बी.सी. एवं डब्ल्यु.एच.आर.बी. आधारित प्रस्तावित पॉवर प्लांट में कॉमन स्टीम फीडर के माध्यम से 10 मेगावॉट टी.जी. सेट से विद्युत उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन इकाई) के साथ डब्ल्यु.एच.आर.बी. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर एवं 70 मीटर (Combined Stack with Twin Fuel) उचांई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एफ.बी.सी. आधारित प्रस्तावित पॉवर प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीपिटेटर एवं 51 मीटर उचांई की चिमनी प्रस्तावित है। इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर उचांई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 53 मीटर उचांई की चिमनी प्रस्तावित है। उपरोक्त चिमनियों की ऊंचाई 100 प्रतिशत इम्पोर्टेड कोल (सल्फर कंटेन्ट 01 प्रतिशत अधिकतम) के आधार पर गणना कर प्रस्तावित की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इम्पोर्टेड कोल में अधिकतम 01 प्रतिशत सल्फर कंटेन्ट की मात्रा वाले कोयले का इम्पोर्ट कर उपयोग किया जाएगा। उपरोक्त व्यवस्था से डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन इकाई) एवं एफ.बी.सी. आधारित प्रस्तावित पॉवर प्लांट से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम तथा इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। एफ.बी.सी. आधारित प्रस्तावित पॉवर प्लांट से एस.ओ.$_{एक्स}$ एवं एन.ओ.$_{एक्स}$ का उत्सर्जन 100 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिडकाव की व्यवस्था प्रस्तावित है। रोलिंग मिल री–हीटिंग फर्नेस गैसीफायर आधारित रहेगा।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

S. No.	Waste	Quantity (TPA)	Method of Disposal

For Sponge Iron plant			
1.	Ash from DRI	11,286	Will be given to cement plant & bricks manufacturers
2.	Dolochar	18,180	Will be used in FBC power plant as fuel
3.	Kiln Accretion Slag	564	Will be used in road construction & given to brick manufacturers
4.	Wet scrapper sludge	2,884	Will be used in road construction & given to brick manufacturers.
For Induction Furance			
1.	SMS Slag	16,500	Slag from SMS will be crushed and iron will be recovered & remaining non-magnetic material being inert by nature will be used as sub base material in road construction
For Rolling Mill			
1.	End Cutting	5,700	Will be reuse in the SMS
2.	Mill Scales	1,800	Mill scale will be given to nearby Ferro alloys manufacturing units or casting units.
3.	Ash (with Indian Coal + dolochar)	27,000	Ash generated will be given to cement plants / bricks manufacturers
4.	Ash (with Imported Coal + dolochar)	17,280	Ash generated will be given to cement plants / bricks manufacturers

कोल गैसीफायर को री–हीटिंग फर्नेस के नजदीक में स्थापित किया जाएगा, जिससे गैसीफायर से उत्पन्न टार गैसीय फार्म में प्रोडयुसर गैस के साथ री–हीटिंग फर्नेस में जला दिया जाएगा। इस प्रकार गैसीफायर से टार का जनरेशन होना संभावित है तथापि मेन्युअल टार कलेक्शन सिस्टम की स्थापना की जाएगी तथा एकत्रित टार को अधिकृत रिसायक्लर्स को उपलब्ध कराया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 320 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डी.आर.आई. किल्न प्लांट हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन, इण्डक्शन फर्नेस हेतु 60 घनमीटर प्रतिदिन, रोलिंग मिल हेतु 90 घनमीटर प्रतिदिन, कोल गैसीफायर हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं पॉवर प्लांट हेतु 100 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 320 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 19/12/2020 से 18/12/2023 तक अनुमति प्राप्त की गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना स्थल के आसपास भू–जल का स्तर प्री–मानसून सीजन में 05 से 10 मीटर तथा पोस्ट–मानसून सीजन 02 से 05 मीटर पाया गया है। इसकी पुष्टि हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, नॉर्थ सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ रीजन रायपुर हेतु प्रकाशित ग्राउण्ड वाटर ईयर बूक ऑफ छत्तीसगढ़ 2019–20 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से 40 घनमीटर / दिन दूषित जल उत्पन्न होगी। स्पंज आयरन प्लांट, इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। गैसीफायर से उत्पन्न दूषित जल को पुनः उपयोग किया जाएगा। पॉवर प्लांट से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना से घरेलू दूषित जल की मात्रा 08 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित 10 कि.ली./दिन क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी। उपचारित घरेलू दूषित जल को हाईपोक्लोराईट सॉल्यूशन से डिसइन्फेक्शन कर विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 4,857 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 16 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 6 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

  परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया गया कि परियेाजना स्थल से लगे हुए भूमि (निदेशक की भूमि) में 2.096 हेक्टेयर भूमि में एक पॉण्ड का निर्माण किया जाएगा, जिसकी गहराई औसतन 03 मीटर होगी तथा इसमें लगभग 62,880 घनमीटर जल का भराव हो सकेगा। 60 प्रतिशत भू–जल में सीपेज होने एवं वाष्पन होने के पश्चात् 25,152 घनमीटर / वर्ष (लगभग 69 घनमीटर / दिन) का उपयोग विभिन्न कार्यों में करने से भू–जल के उपयोग में लगभग 21.56 प्रतिशत की कमी होगी।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 20.5 मेगावॉट विद्युत खपत होगा। विद्युत की आपूर्ति 10 मेगावॉट स्वयं के पॉवर प्लांट से एवं शेष 10.5 मेगावॉट छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – संशोधित ले–आउट अनुसार हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 10.86 हेक्टेयर (कुल क्षेत्रफल का 40.03 प्रतिशत) क्षेत्र में परिसर के चारों तरफ कम से कम 20 मीटर चौड़ी वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि हरित पट्टी में वृक्षारोपण 2 गुणा 3 मीटर के अंतराल में (1,666 पौधे प्रति हेक्टेयर) किया जाए तथा ऐसे प्रजातियों के वृक्ष लगाये जायें, जिनकी ऊंचाई 25 मीटर से अधिक होती हो।

12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिसम्बर, 2019 से फरवरी, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 17.8 से 38.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 29.5 से 68.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 5.2 से 16.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 5.4 से 23.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 39.4 डीबीए से 60.4 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 34.3 डीबीए से 48.8 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 5,097.5 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना से 5,478 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। परियोजना प्रारंभ होने के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

13. लोक सुनवाई दिनांक 06/02/2021 प्रातः 11:00 बजे ग्राम–हिरमी, तहसील–सिमगा के इंजीनियरिंग वर्क्स शॉप के समीपस्थ स्थित मैदान, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 14/06/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं**:–

i. उद्योग की स्थापना हेतु किसानों के क्रय किये गये भूमि के लिए शासन द्वारा निर्धारित नियम के आधार पर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है।

ii. उद्योग में स्थापित चिमनी से निकलने वाले धुँए से तालाब का जल प्रदूषित एवं खेत की फसलों में बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा आस–पास के क्षेत्र में

भू–जल स्तर नीचे चले जाने के कारण से पेयजल हेतु भू–जल एवं सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पा रही है।

iii. उद्योग की स्थापना से आस–पास के क्षेत्र में रहवासियों को दमा, अस्थमा, चर्म रोग, फेफड़ा संबंधी आदि जैसी गंभीर बिमारियां उत्पन्न होने की संभावना है तथा प्रदूषण में वृद्धि होगी।

iv. उद्योग की स्थापना से सड़कों की क्षमता से अधिक भारी वाहनों के आवागमन से परिवहन व्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा, सड़के क्षतिग्रस्त होगी एवं आस–पास के रहवासियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

v. उद्योग प्रबंधन द्वारा आस–पास के वृक्षों की कटाई करके उद्योग की स्थापना किया जाता है।

vi. उद्योग की स्थापना के लिए चारागाह, स्कूल, सड़क, मरघट आदि सभी स्थलों में उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

vii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उद्योग की स्थापना हेतु पूर्व में ही किसानों से भूमि क्रय किया गया था। अतः उनको तत्समय शासन द्वारा निर्धारित नियम के आधार पर कय राशि प्रदान किया गया है।

ii. पर्यावरणीय सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सभी वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण इकाईयों की व्यवस्था की जाएगी। जिससे खेत की फसलों में प्रभाव नहीं पड़ेगा। पॉवर प्लांट में एयर कुल्ड कंडेंसर की स्थापना से जल की आवश्यकता में कमी होगी तथा परिसर के पूर्ण रनऑफ (वर्षा जल) को रिचार्ज करने हेतु 16 नग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की व्यवस्था किया जाएगा। गारलैण्ड ड्रेन का निर्माण किया जाएगा।

iii. डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन इकाई) के साथ डब्ल्यु.एच.आर.बी. तथा एफ.बी.सी. आधारित प्रस्तावित पॉवर प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पृथक–पृथक इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर, इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर की स्थापना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम तथा एफ.बी.सी. आधारित प्रस्तावित पॉवर प्लांट से एस.ओ. $_{एक्स}$ एवं एन.ओ.$_{एक्स}$ का उत्सर्जन 100 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।

iv. अधिकतम रॉ–मटेरियल का परिवहन रेल मार्ग द्वारा तथा उत्पाद, अपशिष्ट एवं रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुए वाहनों (52 ट्रकों)

द्वारा उद्योग परिसर तक किया जाएगा। स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था से वाहनों की गति धीमी रहेगी एवं सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा।

v. उद्योग प्रबंधन द्वारा 9.106 हेक्टेयर क्षेत्र में परिसर के चारों तरफ कम से कम 20 मीटर चौड़ी वृक्षारोपण किया जाएगा।

vi. उद्योग की स्थापना के लिए चारागाह, स्कूल, सड़क, मरघट आदि सभी स्थलों को कब्जा नहीं किया गया है। यह निजी भूमि है।

vii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
9800	2%	196	Following activities at nearby Government 29 Schools, 17 Samudayik Bhawan, 25 Aganbadi & 1 Primary Health Clinic as per proposal	
			Rain Water Harvesting System	30.75
			Potable Drinking water Facility in Schools / Anganbadis	41.70
			Running water facility for Toilets	09.60
			Plantation in Schools	10.00
			Deepening & Cleaning of Ponds	104.14
			Total	**196.19**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–हिरमी, (2) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–जारा, (3) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–जारा, (4) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–जारा, (5) शासकीय हाई स्कूल ग्राम–रेंगाडीह, (6) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–हिरमी, (7) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–तिल्दाबांधा, (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–तिल्दाबांधा, (9) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–भालेसुर, (10) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–हिरमी, (11) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–सकलोर, (12) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–कुथरौद, (13) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–कुथरौद, (14) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–सकलोर, (15) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–भालेसुर, (16) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–मुड़पार, (17) शासकीय

प्राथमिक शाला ग्राम–मुड़पार, (18) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–मुसुवाडीह, (19) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–सण्डी, (20) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–मोहरा, (21) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–पथरचुआ, (22) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–बरडीह, (23) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–मोहरा, (24) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–बरडीह, (25) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–मोहरा, (26) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–बरडीह, (27) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला ग्राम–परसवानी, (28) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–लुटूडीह, (29) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–पथराचुआ, (30) सामुदायिक भवन ग्राम–भटभेरा तथा (31) सामुदायिक भवन ग्राम–कुथरोड–1 एवं 2, (32) सामुदायिक भवन ग्राम–परसवानी, (33) सामुदायिक भवन ग्राम–मुड़पार–1 एवं 2, (34) सामुदायिक भवन ग्राम–मुड़पार सण्डी, (35) सामुदायिक भवन ग्राम–कुथरोड–1, 2, 3 एवं 4, (36) सामुदायिक भवन ग्राम–हिरमी, (37) सामुदायिक भवन साहू समाज ग्राम–हिरमी, (38) सामुदायिक भवन ग्राम–बरडीह, (39) सामुदायिक भवन ग्राम–भडभेरा, (40) सिंहा भवन ग्राम–कुथरोड, (41) आदिवासी भवन ग्राम–हिरमी, (42) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम–हिरमी–1, 2, 3, 5 एवं 6, (43) आंगनबाड़ी ग्राम–हिरमी–4, (44) आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक–4 ग्राम–कुथरोड, (45) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम–तिल्दाबांधा, (46) आंगनबाड़ी केन्द्र 167 ग्राम–सण्डी मुड़पार, (47) आंगनबाड़ी ग्राम–परसवानी, (48) आंगनबाड़ी केन्द्र 1 ग्राम–कुथरोड, (49) आंगनबाड़ी केन्द्र 3 ग्राम–कुथरोड, (50) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता–1 ग्राम–रेन्गाडीह, (51) आंगनबाड़ी केन्द्र 19 ग्राम–लुटूडीह, (52) आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम–मुसवाडीह, (53) आंगनबाड़ी केन्द्र 169 ग्राम–मुड़पार, (54) आंगनबाड़ी केन्द्र 168 ग्राम–मुड़पार, (55) आंगनबाड़ी केन्द्र 2 ग्राम–कुथरोड, (56) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम–सकलोर–1 एवं 2, (57) आंगनबाड़ी कमांक 2 ग्राम–तिल्दाबांधा, (58) आंगनबाड़ी केन्द्र कमांक 1 एवं 2 ग्राम–भालेसुर, (59) आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम–भटभेरा, (60) आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम–बरडीह, तथा (61) प्राथमिक स्वास्थ्य क्लीनिक ग्राम–सण्डी में किया जाएगा। इस प्रकार कुल 72 स्कूलों / सामूदायिक भवन / आंगनबाड़ी / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सी.ई.आर. का कार्य किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहमति व्यक्त की गई कि उपरोक्त सी.ई.आर. कार्यों के प्रगति का प्रतिवेदन प्रत्येक छः माह में प्रस्तुत किया जाएगा तथा थर्ड पार्टी यथा एन. आई.टी. रायपुर, जी.ई.सी. रायपुर, शासकीय साईंस कॉलेज रायपुर अथवा नाबेट (NABET) अनुमोदित कन्सलटेंट से कार्यों की पुष्टि कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। किये गये कार्यों की पृथक से पंचनामा भी किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. ग्राम पंचायत मोहरा एवं हिरमी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित भूमि का औद्योगिक उपयोग हेतु लेण्ड डायवर्सन आदेश की प्रति प्रस्तुत की जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 19/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. ग्राम पंचायत हिरमी का दिनांक 02/04/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं ग्राम पंचायत मोहरा का दिनांक 20/07/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तावित भूमि का औद्योगिक उपयोग हेतु लेण्ड डायवर्सन आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि भूमि का औद्योगिक उपयोग हेतु लेण्ड डायवर्सन आदेश की प्रति जल एव वायु संचालन सम्मति मिलने के पूर्व कराकर प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. मेसर्स अविनाश एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–मोहरा में खसरा क्रमांक 146, 147, 148, 149, 150, 168/1, 2, 3 एवं 4, 169, 170/1, 2, 3, 4 एवं 5, 171, 172/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10, 173, 174/1 एवं 2, 175, 176, 177/1 एवं 3, 178, 179/1 एवं 2, 180, 181/1, 2 एवं 3, 182/1 एवं 6, 183, 184 तथा ग्राम–हिरमी में खसरा क्रमांक 872/2, 856, 855/3, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा स्थित कुल क्षेत्रफल – 67 एकड़ (27.129 हेक्टेयर) में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (2 गुणा 95 टन प्रतिदिन) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष, इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. बिलेट्स/एम. एस.इंगाट्स) (5 गुणा 10 टन) क्षमता – 1,65,000 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल (टी.एम.टी. बार/ स्ट्रक्चरल स्टील/ रोल्ड प्रोडक्ट्स) (1 गुणा 500 टन प्रतिदिन) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 5 मेगावॉट तथा एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 5 मेगावॉट हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

2. प्रस्तावित कृषि भूमि का औद्योगिक उपयोग हेतु लेण्ड डायवर्सन आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। उद्योग की स्थापना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तावित कृषि भूमि का औद्योगिक उपयोग हेतु लेण्ड डायवर्सन आदेश की प्रति प्रस्तुत की जाए। उक्त आदेश के अभाव में पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर– दिनेश कुमार गोयल), ग्राम–ओरंगा, तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1820)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 230215/2021, दिनांक 23/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–ओरंगा, तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 375/4 एवं 375/5, कुल क्षेत्रफल–1.6 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–33,440 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 398वीं बैठक दिनांक 14/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सरत कुमार आचार्य, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री अमरकांत शुक्ला सहायक प्रबंधक उपस्थित हुए। समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत अधिकार पत्र में परियोजना प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण लिया जाना संभव नहीं है। अतः अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 15/02/2022 की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने के लिए समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी आयोजित बैठक दिनांक 15/02/2022 को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सरत कुमार आचार्य, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री अमरकांत शुक्ला सहायक प्रबंधक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पांई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ओरंगा का दिनांक 10/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना –** माईनिंग प्लान एण्ड माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1250/खनिज/खलि.2/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 01/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 812/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 13/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 811/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 13/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, बांध, स्कूल, अस्पताल, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 516/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री सुनील कुमार अग्रवाल के नाम पर है। बोर्ड रिसॉल्युशन की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार श्री दिनेश कुमार गोयल एवं श्री सुनील कुमार अग्रवाल मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राईवेट लिमिटेड के डॉयरेक्टर है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2020/6219 बलरामपुर, दिनांक 14/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित सीमा वन क्षेत्र से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ओरंगा 0.31 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–ओरंगा 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 19 कि.मी. दूर है। कन्हार नदी 5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,46,400 टन (88,000 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व लगभग 1,76,001 टन (62,857 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,67,200 टन (59,714 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,571.39 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,714.3 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2021–22	33,440
2022–23	33,440
2023–24	33,440
2024–25	33,440
2025–26	33,440

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.75 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ट्यूब वेल के माध्यम से किया जाएगा। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 650 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Nearby Government Primary School	
			Potable Drinking Water Facility	0.40
			Plantation	
			Total	**0.40**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 5,300 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,37,440 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 96,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,38,740 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया। परंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है तथा स्कूल में पेयजल की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं की गई है।

18. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लीज सीमा से अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।

2. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण सहित) एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. छत्तीसगढ़ प्रदेश के महानदी एवं उनके सहायक नदियों में "रेत पुनःभरण अध्ययन (Sand replenishment study)" के संबंध में।

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/05/2020 द्वारा डॉयरेक्टर, आई.आई.टी., रूड़की, उत्तराखण्ड को छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न नदियों में "रेत पुनःभरण अध्ययन" कराये जाने हेतु कार्यानुमति प्रदान करने के संबंध में पत्र जारी किया गया था।

तदानुसार उक्त पत्राचार के परिपेक्ष्य में संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/12/2021 द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के महानदी एवं उनके सहायक नदियों में "रेत पुनःभरण अध्ययन" के अंतर्गत आई.आई.टी., रूड़की, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत First Interim Report प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ को आई.आई.टी., रूड़की, उत्तराखण्ड द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के महानदी एवं उसकी सहायक नदियों में "रेत पुनःभरण अध्ययन" कर प्रारंभिक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा रेत पुनःभरण अध्ययन का अंतिम विस्तृत रिपोर्ट एक वर्ष उपरांत प्रस्तुत किया जाएगा एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा वर्तमान में जिन सामान्य शर्तो के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा रही है उसी के अनुरुप ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाना अनुशंसित किया गया। साथ ही आई.आई.टी., रूड़की द्वारा रेत पुनःभरण अध्ययन के अंतिम विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत तत्समय विचार किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण

(एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ द्वारा अपनायी जा रही व्यवस्था अनुसार रेत खदानों को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदिप्युस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF M/S AVINASH ENERGY PRIVATE LIMITED FOR DRI PLANT (SPONGE IRON) (2X95 TPD) OF CAPACITY - 62,700 TPA, INDUCTION FURNACE (MS BILLETS /MS INGOTS) (5X10 TONNE) OF CAPACITY- 1,65,000 TPA, ROLLING MILL (TMT BAR/STRUCTRAL STEEL/ROLLED PRODUCTS) (1X500 TPD) OF CAPACITY - 1,50,000 TPA, WHRB BASED POWER PLANT OF CAPACITY - 5 MW & FBC BASED POWER PLANT OF CAPACITY - 5 MW

I. Statutory Compliance:

i. This environment clearence is being granted to the industry without prejudice to the proceeding pending (if any) in the Hon'ble Court. This environment clearence in no way to be taken as measure of proof that industry has not violated any laws at any time in past. Hence, what-ever decision taken by Hon'ble Court shall be binding on the industry.

ii. 1,50,000 tonnes/year TMT Bar/Structral Steel/Rolled Products shall be 90% hot charging based and 10% reheating furnace is coal gasifier based only. In coal gasifier based rehating furnace, coal consumption shall not be more than 3,000 TPA for Indian Coal and 1,920 TPA for imported coal. Practice hot charging of slabs and billets/blooms as maximum as possible.

iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

iv. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

v. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

vi. The project proponent shall submit the Land Diversion certificate before start of the construction work, failing which the EC shall deem to be cancelled.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277 (E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF), G.S.R 414 (E) dated 30th May 2008 for sponge iron and S.O. 3305 (E) dated 7th December 2015 for Thermal Power Plants as amended from time to time and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Continuous Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Fume extraction system with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with CCM with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 25 mg/Nm^3 all the time. Electro-static precipitator shall be installed in DRI kilns with WHRB with minimum 70 meter stack height and Electro-static precipitator shall be installed in FBC based power plant with minimum 51 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 30 mg/Nm^3 all the time. Lime dosing and Low NO_x burners with 3-stage combustion, flue gas recirculation and auto combustion

control system will be provided in FBC boiler to ensure the SO_x and NO_x emission less than 100 mg/Nm^3. Wet scrubber of adequate capacity and high efficiency shall be installed in re-heating furnace of re-rolling mill with minimum 53 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 25 mg/Nm^3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF), G.S.R 414 (E) dated 30th May 2008 for sponge iron and S.O. 3305 (E) dated 7th December 2015 for Thermal Power Plants as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. Project proponent shall construct pond of minimum depth 3 meter in the adjacent own land (area 2.096 hectare) for storage of rain water and to utilize in different activities within the proposed site and ensure that the pond will reduce the ground water consumption to the extent of 21.56 %. Project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. Project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Ensure installation of regenerative type burners on reheating furnace(s). Practice hot charging of slabs and billets/blooms as maximum as possible.

ii. Project proponent shall provide waste heat recovery system on the DRI kilns.

iii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

iv. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Ash from DRI kiln shall be given to cement plant and brick manufactures, Dolochar shall be used in FBC power plant as a fuel, kiln accretion slag shall be used in road construction & given to brick manufactures, wet scrapper sludge shall be used in road construction & given to brick manufactures. SMS slag shall be crushed in slag crushing units and iron will be recovered & remaining non-magnetic material being inert by nature will be used as sub base material in road construction. End cutting shall be used as raw material in own Induction Furnace(s) for steel making. Mill Scales shall be sold to Ferro alloys manufacturing units or casting units. Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration.

ii. Toxicity characteristic Leaschate Procedure (TCLP) test shall be conducted for any substance, potential of leaching heavy metals into the surrounding areas as well as into the ground water.

iii. Fly ash shall be collected in dry form and ash generated shall be used in phased manner as per provisions of the notification on fly ash utilization issued by the ministry and amendment thereto. 100% fly ash utlilization shall be ensured. Fly ash utilization details shall be submitted to concerned Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur along with the six-monthly compliance reports and utilization data shall be published on company website.

iv. Used refractories shall be recycled as far as possible.

v. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

vi. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

vii. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.03% (10.86 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public hearing and Human health Issues

i. Implementation of the action plan on the issues raised during the public hearing shall be ensured. The project proponent shall undertake all the tasks / measures as per the action plan submitted with budgetary provisions during the public hearing. Land oustees shall be compensated as per the norms laid down in the R&R policy of the company/State Government/Central Government, as applicable.

ii. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labourwithin the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted within 06 months:-

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (In Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="7">9800</td><td rowspan="7">2%</td><td rowspan="7">196</td><td colspan="2">Following activities at nearby Government 29 Schools, 17 Samudayik Bhawan, 25 Aganbadi & 1 Primary Health Clinic as per proposal</td></tr>
<tr><td>Rain Water Harvesting System</td><td>30.75</td></tr>
<tr><td>Potable Drinking water Facility in Schools / Anganbadis</td><td>41.70</td></tr>
<tr><td>Running water facility for Toilets</td><td>09.60</td></tr>
<tr><td>Plantation in Schools</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>Deepening & Cleaning of Ponds</td><td>104.14</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>196.19</td></tr>
</table>

ii. The company shall do regular annual maintenance of equipments, machinery & plantation and ensure evely system placed in order.

iii. The company shall conduct half yearly training camps in proposed schools, samudayik bhawans, aganbadies & primary health clinic and make them aware

about the upkeep of equipments, conservation of water, protection of plants, environment and nature.

iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

v. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

vi. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vii. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

viii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Additional conditions

i. No additional land shall be acquired for this project.

ii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vii. Project proponent shall constitute a monitoring committee comprising of representatives of all stake holders i.e. Gram Panchayat, villagers, school teachers / management, workers, transporters and factory management etc. This committee shall monitor the conditions stipulated in the environmental clearance, environmental protection measures adopted, socio-economic development activities / community development programmes undertaken etc. The committee shall monitor the above matters at-least once in a month; during which, factual situation regarding above matters will be discussed. The procedings of the committee shall be recorded in writing along with suggestions (if any). Project management shall take immediate action on the basis of observations / suggestions of the committee. A copy of the procedings of the committee shall be submitted to Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur for information.

viii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

ix. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

x. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xiii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xvi. The Integrated Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xviii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xix. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**